जवाहरलाल नेहरू कृषि विष्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक–स्था.दो/(1)/15–II/60/ दिनांक / /2018

अधिसूचना

1. दिनांक 31 मार्च, 2018 को प्रख्यापित मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अर्द्धवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) द्वारा मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु (सेवानिवृत्ति) को साठ (60) से बढ़ाकर बासठ (62) वर्ष किया गया है ।

2. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिषद की 172वीं बैठक, दिनांक 26/04/2018 एवं प्रमण्डल सदस्यों की सहमति से लिए गए निर्णयानुसार एतद द्वारा, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु संशोधन अध्यादेश 2018; दिनांक 31 मार्च, 2018 के अनुरूप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की नियमित स्थापना में नियुक्त ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) आयु जो इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व साठ (60) वर्ष थी, को बढ़ाकर बासठ (62) वर्ष किया जाता है।

3. यह अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2018 से प्रभावी होगी। विश्वविद्यालय परिनियम में उपरोक्त संशोधन की स्वीकृति माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त होने तक की अवधि में अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) आयु पूर्ण करने वाले नियमित सेवा में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संलग्न प्रपत्र में **"वचन पत्र"** लिया जाकर उन्हें अनन्तिम रूप से (Provisionally) विश्वविद्यालय सेवा में सेवारत माना जाएगा ।

4. दिनांक 31 मार्च, 2018 को अधिवार्षिकी (सेवानिवृत्ति) आयु पूर्ण करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति दिनांक से पुनः सेवा मे उपस्थिति होने तक की अवधि हेतु अर्जित अवकाश का आवेदन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना होगा तभी उनकी सेवाएं निरन्तर मानी जावेगी तथा उनके वेतन एवं भत्ते नियमानुसार उसी मद से आहरित किए जावेंगे जिनसे सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित किये जा रहे थे ।

कुलपति जी के आदेशानुसार,

सही
कुलसचिव

पृ0 क्रमांक–स्था.दो/(1)/15–II/60/691 दिनांक 30/05/2018

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :–

1. *संचालक, अनुसंधान सेवाएं/विस्तार सेवाएं/प्रक्षेत्र/शिक्षण, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।*
2. *अधिष्ठाता, कृषि/कृषि अभियांत्रिकी संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।*
3. *अधिष्ठाता, कृषि/कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जबलपुर/टीकगमढ़/गंजबसौदा/रीवा।*
4. *प्रभारी जैव प्रोद्यौगिकी केन्द्र (कृषि), ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।*
5. *अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।*
6. *प्रभारी, उपकरण विनियोग केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।*
7. *लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।*
8. *विभागाध्यक्ष..कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।*
9. *समस्त सह–संचालक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र,* ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
10. प्रमुख वैज्ञानिक, उद्यानिकी व्यवसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआं, गढ़ाकोटा, सागर।
11. *समस्त, प्रमुख वैज्ञानिक, क्षेत्रिय कृषि अनुसंधान केन्द्र,* ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
12. समस्त, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
13. कार्यपालन यंत्री/सुरक्षा अधिकारी/सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/सहायक ग्रंथपाल/प्रभारी फार्म, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
14. सहायक कुलसचिव सामान्य, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
15. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
16. समरत अनुभाग अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।

30/5/18
उ. कुलसचिव

वचन पत्र

मैं .... पदनाम.................................... विभाग.................................... कार्यालय.. 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक .... को विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हूं । दिनांक 31 मार्च, 2018 को प्रख्यापित मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अर्द्धवार्षिकी–आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) द्वारा मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु (सेवानिवृत्ति) को साठ (60) से बढ़ाकर बासठ (62) वर्ष किया गया है। जिसकी अधिसूचना विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिषद की 172वीं बैठक, दिनांक 26/04/2018 में लिए गए निर्णयानुसार जारी की गई है । यह अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2018 से प्रभावशील होगी । उक्त निर्णय विश्वविद्यालय प्रबंध प्रमंडल के अनुमोदनोपरांत राज्य शासन को परिनियम में आवश्यक संशोधन हेतु प्रेषित किया जाना है पश्चात माननीय कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन से आवश्यक संशोधन होने के पश्चात लागू होगा ।

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा परिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव अगर अनुमोदित नहीं किया जाता है तो मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं :–

(अ) कि सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात .... के पश्चात विश्वविद्यालय में कार्य करने हेतु किसी प्रकार के वेतन एवं भत्तों का दावा नहीं करूंगा तथा उक्त अवधि में, मैं अवैतनिक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं ।

(ब) कि सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात .... के पश्चात विश्वविद्यालय से प्राप्त वेतन एवं भत्तों की राशि को मैं विश्वविद्यालय को वापिस लौटा दूंगा अथवा उस राशि को मेरे सेवानिवृत्त दावों से कटौती करने की सहमति मैं विश्वविद्यालय को प्रदान करता हूं ।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर :–

नाम :–

पदनाम :–

कार्यालय :–

गवाह :–

(1)..................................

(2) ....

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

(नियंत्रणकर्ता अधिकारी का नाम पदनाम एवं मुहर)